

[भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 67/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 21 सितंबर, 2020

सा.का.नि.____(अ).- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 73/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29 दिसंबर, 2017, जिसे सा.का.नि.1600(अ), दिनांक 29 दिसंबर, 2017, के तहत, **भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-**

उक्त अधिसूचना में:-

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2020 तक की तिमाहियों से संबंधित **प्ररूप जीएसटीआर-4** में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, लेकिन उक्त विवरणी को समयावधि सितंबर, 2020 के 22वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रूपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूर्ण रूप से अधित्यजन किया जाता है जिनके लिए कुल देय केन्द्रीय कर की राशि शून्य है।”

[फा.सं.CBEC-20/06/08/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 73/2017 - केन्द्रीय कर दिनांक दिनांक 29 दिसंबर, 2017 को सा.का.नि. 1600(अ), दिनांक 29 दिसंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 77/2018- केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसंबर 2018, जिसे सा.का.नि. 1254(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।